झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं0–8/गठन/104/2017/न०वि०आ०/.....4492..... **राँची, दिनांक**–04/09/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा–3 की उपधारा (2),(स) सहपठित धारा–4, 5, 6, धारा–8 की उपधारा–(3) तथा धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज अंचल के 05 पंचायत के 12 राजस्व ग्रामों को मिलाकर, उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–1048/ग्रा०पं०, दिनांक–26.12.2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–251, दिनांक–15.01.2018 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र हरिहरगंज नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, पलामू को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–499/ग्रा०पं०, दिनांक–25.06.2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०–251, दिनांक–15.01.2018 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपायुक्त, पलामू ने उक्त पत्र द्वारा हरिहरगंज नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा–3 की उपधारा (2) (स) धारा–4, 5, 6, धारा–8(3) एवं धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज अंचल के 05 पंचायत के 12 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से **हरिहरगंज नगर पंचायत** के रूप में घोषित करते है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/104/2017/न०वि०आ०/.....4492..... **राँची, दिनांक**–04/09/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/104/2017/न०वि०आ०/.....4492..... **राँची, दिनांक**–04/09/18

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/104/2017/न०वि०आ०/.....4492..... **राँची, दिनांक**–04/09/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Manju/E/Sec-8/Adisuchna-141

परिशिष्ट

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

हरिहरगंज नगर पंचायत का गठन

4492
04/09/18

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–499/ग्रा०प०, दिनांक–25.06.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज अंचल के हरिहरगंज नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:–

निकाय का नाम	क्र०	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
हरिहरगंज नगर पंचायत	1	सतगावाँ उर्फ हरिहरगंज	122	28467	2441.42
	2	अररूआ कला	125		
	3	अररूआ खूर्द	120		
	4	पाठक बीगहा	121		
	5	बिशुनपूर	113		
	6	बेलोदर	119		
	7	भगततेदुवा	178		
	8	कोशडिहरा	116		
	9	खापकटैया	117		
	10	पीपरा	114		
	11	अम्बा	124		
	12	डेमा	123		
			कुल–	28467	

हरिहरगंज नगर पंचायत एक झलक में :–

1.	हरिहरगंज नगर पंचायत की जनसंख्या	28467
2.	जनसंख्या का घनत्व	2441.42 प्रति वर्ग कि.मी.।
3.	हरिहरगंज नगर पंचायत का क्षेत्रफल	11.66 वर्ग कि.मी.।

3/8/18
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Manju/E/Sec-8/Adisuchna all/Adisuchna prapatra-24